

## कुछ राज्यों के लिये विशेष प्रावधान

### प्रलम्ब के लिये:

भारतीय संविधान, संघवाद, न्यायिक समीक्षा, सरकार का संसदीय स्वरूप, विशेष प्रावधान, भारत का संविधान, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, सातवीं अनुसूची, कक्षेत्रवाद, राष्ट्रीय एकीकरण, सहकारी संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध, जनजातीय कक्षेत्र, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, छठी अनुसूची, पाँचवीं अनुसूची।

### मेन्स के लिये:

राज्यों के लिये विशेष प्रावधान, विशेष दर्जे की मांग

## संदर्भ

भारतीय संविधान कुछ राज्यों को उनके विशेष सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों को संबोधित करने के लिये अनुच्छेद 371 से 371-J के अंतर्गत विशेष प्रावधान प्रदान करता है। इसका उद्देश्य कक्षेत्रीय हितों की रक्षा करना, समान विकास सुनिश्चित करना और स्वदेशी पहचान की रक्षा करना है। ये प्रावधान राज्य-विशेषित शासन स्वायत्तता को बढ़ावा देते हैं, साथ ही ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

## कौन से संवैधानिक प्रावधान कुछ राज्यों के विशेष प्रावधानों को शासित करते हैं?

- भारतीय राज्यों को वित्तीय, राजनीतिक और प्रशासनिक कारकों के कारण अलग-अलग व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कुछ को विशेषित स्वायत्तता और अद्वितीय केंद्र-राज्य संबंध प्राप्त हैं।
  - **अनुच्छेद 371:** शासन और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 12 राज्यों के लिये विशेष प्रावधान प्रदान करता है।
    - संविधान के भाग XXI में अनुच्छेद 371 से 371-J में 12 राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, गुजरात, नगालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सक्किम, मजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक के लिये विशेष प्रावधान हैं।
    - ये सभी अपवाद संविधान के भाग “अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान” के अंतर्गत हैं, जो यह दर्शाता है कि ये प्रावधान तब तक लागू रहेंगे जब तक कि अलगाववादी भावनाएँ या युद्ध का संकट समाप्त नहीं हो जाता।
      - हालाँकि, “अस्थायी” टैग के बावजूद, किसी भी प्रावधान में स्पष्ट समाप्ति तिथि नहीं दी गई है।
    - इनके पीछे उद्देश्य राज्यों के पछिडे कक्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना अथवा राज्यों के जनजातीय लोगों के सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना या राज्यों के कुछ हिस्सों में अशांत कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटना या राज्यों के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना है।
    - मूलतः संविधान में इन राज्यों के लिये कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया था।
      - इन्हें राज्यों के पुनर्गठन या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा प्रदान करने के संदर्भ में किये गए विभिन्न संशोधनों द्वारा शामिल किया गया है।
  - **अनुच्छेद 239A:** संघ राज्य कक्षेत्र पुडुचेरी में स्थानीय विधायिका के लिये प्रावधान स्थापित करता है।
  - **अनुच्छेद 239AA:** राष्ट्रीय राजधानी कक्षेत्र दिल्ली (NCT) राज्य और समवर्ती सूचियों (7 वीं अनुसूची के अनुसार) में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बना सकता है जो केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं। हालाँकि, यह पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि पर कानून नहीं बना सकता।

## राज्यों के लिये विभिन्न विशेष प्रावधान क्या हैं?

- अनुच्छेद 371, (महाराष्ट्र और गुजरात): अनुच्छेद 371 के तहत राष्ट्रपति को यह प्रावधान करने का अधिकार है कि महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल के पास नमिनलखित के लिये विशेष ज़िम्मेदारी होगी:
  - नमिनलखित के लिये अलग विकास बोर्डों की स्थापना:
    - वदिरभ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र।

• **सौराष्ट्र, कच्छ** और शेष गुजरात ।

- यह प्रावधान कथिा गया कि इन बोरडों के कामकाज पर एक रिपोर्ट प्रतिवर्ष **राज्य वधायिका** के समक्ष रखी जाएगी ।
  - उपर्युक्त कषेत्रों में वकिसात्कमक वयय के लयि धन का न्यायसंगत आवंटन ।
  - उपर्युक्त कषेत्रों के संबंघ में **तकनीकी शकिसा** और **व्यावसायिक प्रशकिसण** के लयि पर्याप्त सुवधिएँ तथा राज्य सेवाओं में पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली न्यायसंगत वयवसूथा ।
- **अनुच्छेद 371A (13वाँ संशोधन अधनियम, 1962), (नगालैंड): अनुच्छेद 371-A** नगालैंड के लयि नमिनलखिति वशिष प्रावधान करता है:
- नमिनलखिति मामलों से संबंघति संसद के अधनियम **नगालैंड पर तब तक लागू नहीं होंगे** जब तक कि राज्य वधायिका ऐसा नरिणय न ले:
  - नागाओं की धारमकि या सामाजकि प्रथारँ ।
  - **नागा प्रथागत कानून** और प्रकरयिा ।
  - नागा प्रथागत कानून के अनुसार नरिणय लेने सहति **सविलि और आपराधकि न्याय** का प्रशासन ।
  - **भूमि** एवं उसके संसाधनों का **स्वामित्व एवं हस्तांतरण** ।
  - **नगालैंड के राज्यपाल** पर राज्य में **कानून और वयवसूथा** की वशिष ज़मिमेदारी होगी जब तक कि शतरुतापूर्ण नागाओं द्वारा उत्पन्न **आंतरिक अशांति** जारी रहेगी ।
  - इस ज़मिमेदारी के नरिवहन में **राज्यपाल मंत्रपरिषद** से **परामर्श** करने के बाद अपना वयक्तगत नरिणय लेता है और उसका नरिणय अंतमि होता है । राष्ट्रपति के नरिदेश पर राज्यपाल की यह **वशिष ज़मिमेदारी** समाप्त हो जाएगी ।
  - राज्यपाल को यह सुनिश्चिति करना होगा कि किसी वशिषि्ट उद्देश्य के लयि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि उस उद्देश्य से संबंघति **अनुदान की मांग** में शामिल की जाए, न कि राज्य वधिान सभा में प्रस्तुत किसी अन्य मांग में ।
  - **राज्य के तुपनसांग ज़िले** के लयि 35 सदस्यों वाली एक **कषेत्रीय परिषद** गठति की जानी चाहयिे ।
  - राज्यपाल को परिषद की संरचना, उसके सदस्यों के चयन की रीति, उनकी योग्यताएँ, पदावधि, वेतन और भत्ते, **परिषद की प्रकरयिा और कार्य संचालन; परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की नयुक्ति** और उनकी सेवा शर्ते; तथा परिषद के गठन और समुचति कारयकरण से संबंघति अन्य मामलों के लयि नयिम बनाने चाहयिे ।
  - **नगालैंड के गठन से दस वर्ष की अवधि** के लयि या राज्यपाल द्वारा कषेत्रीय परिषद की सफिराशि पर नरिदषि्ट की गई अतरिकित्त अवधि के लयि तुपनसांग ज़िले के लयि वभिनिन प्रावधान लागू रहेंगे ।
- **अनुच्छेद 371B (22वाँ संशोधन अधनियम, 1969), (असम): अनुच्छेद 371-B** के तहत, राष्ट्रपति को असम वधिानसभा की एक समति के गठन के लयि अधिकार दथिा गया है, जसिमें राज्य के **जनजातीय कषेत्रों से नरिवाचति सदस्य** और ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे, जनिहें वह नरिदषि्ट कर सकते हैं ।
- **अनुच्छेद 371C (27वाँ संशोधन अधनियम, 1971), (मणपुरि): अनुच्छेद 371-C** में मणपुरि के लयि नमिनलखिति वशिष प्रावधान कथिा गए हैं:
- **राष्ट्रपति को मणपुरि वधिानसभा की एक समति के गठन** हेतु प्राधकित्त कथिा गया है, जसिमें राज्य के परवतीय कषेत्रों से नरिवाचति सदस्य शामिल होंगे ।
  - राष्ट्रपति यह भी नरिदेश दे सकते हैं कि राज्यपाल को उस समति के समुचति कारयचालन को सुनिश्चिति करने का **वशिष उत्तरदायतिव** होगा ।
  - राज्यपाल को **परवतीय कषेत्रों के प्रशासन** के संबंघ में राष्ट्रपति को **वार्षिक रिपोर्ट** प्रस्तुत करनी होगी ।
  - केंद्र सरकार परवतीय कषेत्रों के प्रशासन के संबंघ में **राज्य सरकार को नरिदेश** दे सकेगी ।
- **अनुच्छेद 371D (32वाँ संशोधन अधनियम, 1973; आंध्र प्रदेश पुनरगठन अधनियम, 2014 द्वारा प्रतसिथापति), (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना): अनुच्छेद 371-D और 371-E** में आंध्र प्रदेश के लयि वशिष प्रावधान कथिा गए हैं ।
- वर्ष 2014 में, **आंध्र प्रदेश पुनरगठन अधनियम, 2014** द्वारा अनुच्छेद 371-D का वसितार **तेलंगाना राज्य** में भी कथिा गया ।
  - अनुच्छेद 371-D के अंतरगत नमिनवत का उल्लेख है:
  - वह किसी ऐसे संवर्ग में पदों पर सीधी भरती या किसी ऐसे शैकषणकि संसूथान में प्रवेश के मामले में दी जाने वाली **भरतीयता या आरकषण** की सीमा और रीति को भी नरिदषि्ट कर सकता है ।
  - यह अधकिरण **राज्य उच्च न्यायालय के कारयकषेत्र से बाहर** संचलान करेगा । **कोई भी न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय के अतरिकित्त) ऐसे किसी भी मामले की सुनिवाई नहीं करेगा** जसिपर अधकिरण की अधकिारति होगी । **राष्ट्रपति द्वारा अधकिरण का असूततिव आवश्यक नहीं समझे जाने का वशिवास होने पर इसका उत्सादन कथिा जा सकेगा** ।
  - राष्ट्रपति को **लोक नयिोजन** और **शकिसा** के मामले में राज्य के वभिनिन भागों के लोगों के लयिसमान अवसर और सुवधिएँ प्रदान करने का **अधकिार** है तथा राज्य के वभिनिन भागों के लयि अलग-अलग प्रावधान कथिा जा सकते हैं ।
  - उपर्युक्त उद्देश्य के लयि, राष्ट्रपति राज्य सरकार से राज्य के वभिनिन भागों के लयिसूथानीय संवर्गों में **सविलि पदों को सुवयवसूथति करने** तथा किसी भी सूथानीय संवर्ग में पदों पर सीधी भरती की वयवसूथा करने की अपेक्षा कर सकता है । वह राज्य के उन भागों को नरिदषि्ट कर सकता है जनिहें **किसी भी शैकषणकि संसूथान में प्रवेश के लयि सूथानीय कषेत्र माना जाएगा** ।
  - राष्ट्रपति राज्य में सविलि पदों पर नयुक्ति, आवंटन या पदोन्नति से संबंघति कुछ वविादों और शकियातों के नविरण हेतु राज्य में एक **प्रशासनकि अधकिरण** की सूथापना का प्रावधान कर सकते हैं ।
- **अनुच्छेद 371-E:** इसके अंतरगत **संसद** को आंध्र प्रदेश राज्य में एक **केंद्रीय वशिषवदियालय** की सूथापना कथिा जाने का अधकिार प्रदान है ।
- **अनुच्छेद 371F (36वाँ संशोधन अधनियम, 1975), (सकिकमि): 36वें संवधिान संशोधन अधनियम, 1975 से सकिकमि** भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना ।
- इसमें सकिकमि के संबंघ में वशिष प्रावधानों वाला एक नया **अनुच्छेद 371-F** शामिल कथिा गया । ये प्रावधान इस प्रकार हैं:
  - सकिकमि वधिानसभा में **कम-से-कम 30 सदस्य होंगे** ।
  - **लोकसभा में सकिकमि** को एक सीट आवंटति है तथा सकिकमि एक संसदीय नरिवाचन कषेत्र है ।
  - सकिकमि की जनसंख्या के वभिनिन वर्गों के अधकिारों और हतियों की रकषा के लयि संसद को नमिनलखिति प्रावधान करने का अधकिार है:
  - सकिकमि वधिानसभा में ऐसे वर्गों से संबंघति अभ्यरथयिों द्वारा भरी जा सकने वाली सीटों की संख्या ।

- उन अधिनियमों का **परिीमन** जहाँ से केवल ऐसे वर्गों से संबंधित उम्मीदवार ही अधिनियमों के चुनाव के उम्मीदवार हो सकेंगे।
- राज्यपाल को शांति और सकिम की आबादी के विभिन्न वर्गों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने हेतु **न्यायसंगत व्यवस्था** का विशेष उत्तरदायित्व होगा। इस उत्तरदायित्व के निर्वहन में राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा जारी **निर्देशों के अधीन अपने विवेक से कार्य कर सकेंगे।**
- राष्ट्रपति भारतीय संघ के किसी राज्य में प्रवर्तित किसी विधि का (प्रतिबंधों या संशोधनों के साथ) सकिम पर क्रियान्वन कर सकता है।
- **अनुच्छेद 371G (53वाँ संशोधन अधिनियम, 1986), (मिज़ोरम): अनुच्छेद 371-G** मिज़ोरम के लिये निम्नलिखित विशेष प्रावधानों को निरदिष्ट करता है:
  - निम्नलिखित मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम मिज़ोरम पर तब तक क्रियान्वनित नहीं होंगे जब तक कि राज्य अधिनियमों का निर्णय न ले:
    - मिज़ो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएँ।
    - मिज़ो प्रथागत विधियाँ और प्रक्रिया।
    - मिज़ो प्रथागत विधि के अनुसार निर्णय लेने वाले सविलि और आपराधिक न्याय का प्रशासन।
    - भूमि का स्वामित्व एवं हस्तांतरण।
  - मिज़ोरम अधिनियमों में कम-से-कम 40 सदस्य होंगे।
- **अनुच्छेद 371H (55वाँ संशोधन अधिनियम, 1986), (अरुणाचल प्रदेश): अनुच्छेद 371-H** के तहत अरुणाचल प्रदेश के लिये निम्नलिखित विशेष प्रावधान किये गए हैं:
  - अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पास राज्य में विधि और व्यवस्था का विशेष उत्तरदायित्व होगा।
    - इस उत्तरदायित्व के निर्वहन में राज्यपाल **मंत्रिपरिषद से परामर्श करने के बाद** अपना व्यक्तिगत निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल का यह विशेष उत्तरदायित्व समाप्त हो जाएगा।
  - अरुणाचल प्रदेश अधिनियमों में **कम-से-कम 30 सदस्य** होंगे।
- **अनुच्छेद 371-I, (गोवा): अनुच्छेद 371-I** के अनुसार **गोवा अधिनियमों** में कम-से-कम 30 सदस्य होंगे।
- **अनुच्छेद 371J (98वाँ संशोधन अधिनियम, 2012), (कर्नाटक): अनुच्छेद 371-J** के तहत, राष्ट्रपति को यह प्रावधान करने का अधिकार है कि कर्नाटक के राज्यपाल के पास निम्नलिखित विधियों का विशेष उत्तरदायित्व होगा:
  - हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिये एक **अलग विकास बोर्ड** की स्थापना।
  - यह प्रावधान किया गया कि बोर्ड के कार्यचालन पर एक रिपोर्ट **प्रत्येक वर्ष** राज्य अधिनियमों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
  - संबद्ध क्षेत्र में विकास हेतु व्यय के लिये **निधि का न्यायसंगत आवंटन**।
  - संबद्ध क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिये शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में सीटों का आरक्षण।
  - संबद्ध क्षेत्र के व्यक्तियों के लिये राज्य सरकार के पदों में आरक्षण।
  - अनुच्छेद 371-J (जिसमें कर्नाटक राज्य के हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र हेतु विशेष प्रावधान किया गया है) को वर्ष 2012 के **98वें संवधान संशोधन अधिनियम** द्वारा संविधान में शामिल किया गया था।
  - विशेष प्रावधानों का उद्देश्य क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये **न्यायसंगत आवंटन हेतु एक संस्थागत तंत्र** स्थापित करना है और इसके साथ ही सेवा में स्थानीय संवर्गों तथा शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रदान कर मानव संसाधनों का वर्द्धन करना और क्षेत्र में रोज़गार को बढ़ावा देना है।

Article No.	Subject-matter
371.	Special provision with respect to the states of Maharashtra and Gujarat
371A.	Special provision with respect to the state of Nagaland
371B.	Special provision with respect to the state of Assam
371C.	Special provision with respect to the state of Manipur
371D.	Special provisions with respect to the state of Andhra Pradesh or the state of Telangana
371E.	Establishment of Central University in Andhra Pradesh
371F.	Special provisions with respect to the state of Sikkim
371G.	Special provision with respect to the state of Mizoram
371H.	Special provision with respect to the state of Arunachal Pradesh
371-I.	Special provision with respect to the state of Goa
371J.	Special provisions with respect to the state of Karnataka

## कृछ राज्यों के लयि वशिष प्रावधानों की आलोचना क्या है?

- **राष्ट्रीय एकता का क्षरण:** वशिष प्रावधान क्षेत्रीयता को बढ़ावा दे सकते हैं, जससे राष्ट्रीय एकता प्रभावति होती है। **जम्मू और कश्मीर के लयि अनुच्छेद 370** ने एक अलग पहचान को बढ़ावा दयिा, जससे अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा मलिा, जबकि नगालैंड के लयि **अनुच्छेद 371A**, जो प्रथागत कानूनों की रक्षा करता है, को वशिषिटा की भावना को मज़बूत करने के रूप में देखा जाता है।
- **आर्थिक असमानताएँ:** वशिष दरजा अक्सर असमान वकिस की ओर ले जाता है। सकिकमि और महाराष्ट्र जैसे राज्य अतरिकित सहायता से लाभानवति होते हैं, जबकि **बहिर और उत्तर प्रदेश** ऐसे प्रावधानों के बनिा अक्सर वंचति रह जाते हैं।
- **राजनीतिक दुरुपयोग:** **आंध्र प्रदेश में अनुच्छेद 371D** जैसे प्रावधान, जो रोजगार और शकिस तक समान पहुँच सुनश्चिति करने के लयि हैं, का कभी-कभी राजनीतिक लाभ के लयि दुरुपयोग कयिा जाता है।
- **कानूनी असपष्टताएँ:** अलग-अलग कानूनी ढाँचे राज्य और केंद्रीय कानूनों के बीच संघर्ष उत्पन्न करते हैं। जम्मू और कश्मीर **मेंसतु एवं सेवा कर (GST)** को **अनुच्छेद 370** के कारण लागू करने में देरी हुई, जबकि **मिज़ोरम में अनुच्छेद 371G** के कारण भूमि और संसाधन प्रबंधन पर वविाद उत्पन्न हुए।
- **सामाजिक असमानताएँ:** वशिष प्रावधान अक्सर **हाशयि पर पड़े समूहों को प्रभावी ढंग से लाभ पहुँचाने** में वकिल रहते हैं। **पाँचवीं और छठी अनुसूची** के अंतर्गत आने वाले आदविसी क्षेत्रों में, सत्ता की गतशीलता न्यायसंगत वतिरण में बाधा डालती है, जैसा कि झारखंड में देखा गया है, जहाँ कई आदविसी समुदाय वंचति रह जाते हैं।

## आगे की राह:

- **राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना:** सरकारयिा आयोग (1983) ने बेहतर केंद्र-राज्य समन्वय के माध्यम से **सहकारी संघवाद** की सफिरशि की। कनाडा जैसे देश एक मज़बूत संघीय ढाँचे के साथ **क्षेत्रीय स्वायत्तता को संतुलति करते हैं**, जससे **एकता और वविधिता** दोनों को बढ़ावा मलिता है।
- **क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधति करना:** **15वें वतित आयोग (2020)** ने अवकिसति राज्यों को **समान राजकोषीय हस्तांतरण** की आवश्यकता पर ज़ोर दयिा। **स्वटिज़रलैंड की राजकोषीय समतुल्यता प्रणाली** संतुलति वकिस के लयि संसाधन पुनर्वतिरण का एक सफल मॉडल प्रसतुत करती है।
- **राजनीतिक शोषण को रोकना:** **पुंछी आयोग (2007)** ने केंद्र-राज्य संबंधों पर स्पष्ट दशिा-नरिदेश और इन प्रावधानों की समय-समय पर समीक्षा का सुझाव दयिा। **जर्मनी की संघीय प्रणाली** में जवाबदेही के उपाय शामिल हैं ताकि यह सुनश्चिति कयिा जा सके कि प्रावधान अपने इच्छति उद्देश्यों को पूरा करना।
- **कानूनी ढाँचे को स्पष्ट करना:** **राज्य पुनरगठन आयोग (1955)** ने वविादों को कम करने के लयि राज्य की सीमाओं को **सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के साथ संरेखति करने की सफिरशि की**। स्पेन के **स्वायत्त क्षेत्र** एक स्पष्ट कानूनी संरचना प्रदर्शति करते हैं जो स्थानीय और राष्ट्रीय हतिों को संतुलति करती है।
- **सामाजिक समानता को बढ़ावा देना:** अनुसूचिति जातयिों के लयि **राष्ट्रीय आयोग (NCSC)** समान लाभ सुनश्चिति करने के लयि **लक्षति**

कार्यक्रमों और नगिरानी तंत्रों का समर्थन करता करता है। हाशिये पर पड़े समुदायों की रक्षा करने वाले दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक प्रावधान एक प्रासंगिक वैश्विक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा के पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

**??????:**

प्रश्न. भारत के संवैधान की कसि अनुसूची में कुछ राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिये विशेष प्रावधान हैं?(2008)

- (a) तीसरा
- (b) पाँचवाँ
- (c) सातवाँ
- (d) नौवाँ

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत के संवैधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची में कसिसे संबंधित प्रावधान हैं? (2015)

- (a) अनुसूचित जनजातियों के हतियों की रक्षा
- (b) राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण
- (c) पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और ज़म्मेदारियों का निर्धारण
- (d) सभी सीमावर्ती राज्यों के हतियों की रक्षा

उत्तर: (a)

प्रश्न. सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत वस्तितार (PESA) अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। नमिनलखिति में से कौन-सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? (2013)

- (a) स्वशासन प्रदान करना
- (b) पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना
- (c) जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना
- (d) जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना

उत्तर: (c)

**??????:**

प्रश्न. भारतीय संवैधान का अनुच्छेद 244, अनुसूचित व आदवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसकी पाँचवीं सूची का क्रयान्वयन न हो पाने से वामपंथी पक्ष के चरमपंथ पर पड़ने वाले प्रभाव का वशिलेण कीजिये। (2013)

प्रश्न. क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को 'अनुसूचित जनजातियाँ' कहा जाता है? भारत के संवैधान में प्रतषिठापति उनके उत्थान के लिये प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिये। (2016)